उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-73/2018/1754/92-2-18-30जॉच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 10 जुलाई,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत पैकेज संख्या-1059 के अधीन हल्दी बयासी पाल्टून ब्रिज से बीयर तक मार्ग के निर्माण कार्य में बरती गयी उदासीनता, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कराये गये कार्य तथा कार्यो में बरती गयी शिथिलता के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0--बलिया सम्प्रति प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-73/2018/1754(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-20/ग्रा0अ0 वि0/पीएमजीएसवाई सेल/बलिया/पत्रा0क्र0-342/18-19· दिनांक 07-05-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-बलिया सम्प्रति प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0 बलिया।

4- श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया सम्प्रति प्रखण्ड-भदोही द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in